राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित

AKSHANSH PUBLICATION

EO / RO

भर्ती परीक्षा

PART-B

1. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009
2. राजस्थान नगरपालिका (सामान्य क्रय एवं अनुबंध) नियम, 1974
3. राजस्थान नगरपालिका (कार्य संचालन) नियम, 2009
4. राजस्थान नगरपालिका (समितियों की शक्तियाँ और कर्तव्य और कृत्य) नियम 2009
5. राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं

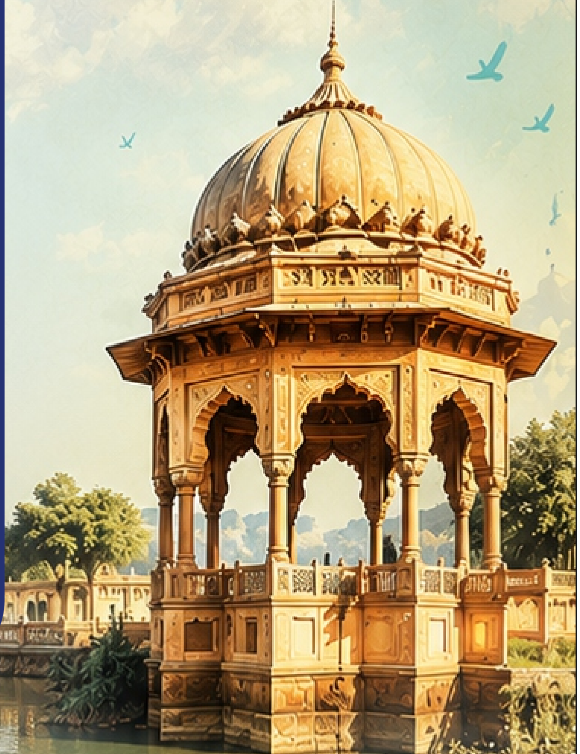

इरफान सर (RAS)
नागवेन्द्र सर

अक्षांश पब्लिकेशन

Book Now 7850960198

Plot No 1104, Shiksha Mandir, Sec 4, Circle, Main Road, Udaipur

AKSHANSH PUBLICATION

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित

EO RO भर्ती परीक्षा

PART-B

"अक्षांश प्रकाशन की समस्त पुस्तकें लक्ष्य क्लासेज़, उदयपुर के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन एवं अक्षांश प्रकाशन की समर्पित टीम के सहयोग से तैयार की गई हैं।"

व्याख्यात्मक हल
लक्ष्य क्लासेज़, उदयपुर
के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध

संपादक
नागवेन्द्र सर

सह संपादक
गंगासिंह भाटी, अनोपचंद मंडा
प्रकाश मेघवाल, पप्पाराम, राकेश, सुमेर, नरेन्द्र सिंह, धर्मेश

प्रकाशन
अक्षांश प्रकाशन, उदयपुर (राज.)

नोट :- अब लक्ष्य क्लासेज़ की सभी आगामी पुस्तकें केवल 'अक्षांश प्रकाशन' के माध्यम से ही प्रकाशित की जाएंगी। ये सभी पुस्तकें बाजार में 'अक्षांश' नाम से ही उपलब्ध होंगी। विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आगामी समय में 'लक्ष्य' नाम से कोई भी पुस्तक प्रकाशित नहीं की जाएगी। इसलिए कृपया पुस्तक खरीदते समय केवल 'अक्षांश प्रकाशन' के नाम से प्रकाशित और अधिकृत पुस्तकें ही बुक स्टोर्स से प्राप्त करें, ताकि आपको प्रमाणिक, अद्यतन एवं परीक्षा-उपयुक्त सामग्री प्राप्त हो।भविष्य में 'लक्ष्य' नाम से प्रकाशित किसी भी पुस्तक की सामग्री या गुणवत्ता की जिम्मेदारी 'अक्षांश प्रकाशन' या 'लक्ष्य क्लासेज़, उदयपुर' की नहीं होगी।

प्रकाशन

अक्षांश प्रकाशन

Plot No 1104, Shiksha Mandir, Sec 4, Circle,
Main Road, Udaipur

लक्ष्य क्लासेज़, उदयपुर से जुड़ने के लिए QR CODE स्कैन करे

TELEGRAM | INSTAGRAM | YOUTUBE | FACEBOOK | WHATSAPP

बुक कोड - AP0144

©सर्वाधिकार - अक्षांश प्रकाशन
lakshyaclassesudr@gmail.com

मुख्य वितरक - लक्ष्य क्लासेज़, उदयपुर
M. 7850960198

इस पुस्तक में दी गई सभी जानकारियाँ, तथ्य और सूचनाएँ सावधानीपूर्वक सत्यापित की गई हैं। फिर भी यदि किसी जानकारी या तथ्य में कोई त्रुटि रह गई हो, तो उसके लिए प्रकाशक, संपादक या मुद्रक जिम्मेदार नहीं होंगे।

हमारा विश्वास है कि इस पुस्तक की सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से तैयार की गई है। यदि किसी प्रकार का कॉपीराइट उल्लंघन सामने आता है, तो उसकी जिम्मेदारी प्रकाशक की नहीं होगी।

सभी विवादों के निपटारे के लिए न्यायिक क्षेत्र उदयपुर रहेगा।

अक्षांश प्रकाशन ने इस पुस्तक के तथ्यों तथा विवरणों को उचित स्त्रोतों से प्राप्त किया है। इस पुस्तक में प्रकाशित सभी प्रकार की सामग्री पूर्णतः तथ्यात्मक विश्लेषण पर आधारित है। इस पुस्तक के किसी भी भाग और सामग्री को अक्षांश प्रकाशन की अनुमति और जानकारी के बिना अन्यत्र प्रकाशित या प्रिन्ट करना अनुचित है, यदि ऐसा पाया जाता है तो व्यक्ति या संस्थान स्वयं जिम्मेदार है।

विषय वस्तु

क्र.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	राजस्थान नगरपालिका अधिनियम - 2009	1 – 4
2.	प्रारम्भिक - धारा 1 एवं 2	5 – 13
3.	नगरपालिकाओं का गठन और शासन - धारा 3 से 50	14 – 35
4.	कार्य संचालन और वार्ड समिति - धारा 51 से 66	36 – 45
5.	नगरपालिका संपत्ति - धारा 67 से 75	46 – 52
6.	नगरपालिका वित्त और निधि - धारा 76 से 89	53 – 60
7.	नगरपालिका राजस्व - धारा 101 से 140	61 – 73
8.	नगर विकास और नगर योजना - धारा 159 से 199	74 – 84
9.	नगरपालिका शक्तियाँ और अपराध - धारा 200 से 297	85 – 106
10.	अभियोजन, वाद आदि - धारा 298 से 308	107 – 110
11.	नियंत्रण - धारा 309 से 327	111 – 118
12.	राजस्थान नगरपालिका सामान क्रय एवं अनुबंध नियम, 1974	119 - 126
13.	राजस्थान नगरपालिका (कार्य संचालन) नियम, 2009	127 - 133
14.	राजस्थान नगरपालिका (समितियो की शक्तियाँ और कर्तव्य और कृत्य) नियम 2009	134 - 139
15.	राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं	140 - 149

❑ ❑ ❑ ❑

01 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम - 2009

- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 राजस्थान के नगर निगम, नगर परिषद एवं नगरपालिका बोर्ड के गठन, प्रशासन, शक्तियों तथा कार्यों को विनियमित करने वाला प्रमुख कानून है।
- यह अधिनियम राज्य के नगरीय स्थानीय निकायों के सुचारु संचालन एवं प्रबंधन के लिए बनाया गया है।
- राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इसे 11 सितम्बर 2009 से पूरे राजस्थान में लागू किया गया।
- यह अधिनियम राजस्थान के सभी नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को कानूनी आधार प्रदान करता है।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009

बिंदु	विवरण
अधिनियम का नाम	राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009
अधिनियम संख्या	2009 का अधिनियम संख्या 18
विधानसभा	13वीं राजस्थान विधानसभा (2008–2013)
तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष	श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत
तत्कालीन मुख्यमंत्री	श्री अशोक गहलोत
राज्यपाल की अनुमति	11 सितम्बर 2009
राजपत्र (Gazette) प्रकाशन	भाग 4(क) में प्रकाशित
प्रवर्तन (लागू होने की तिथि)	15 सितम्बर 2009
लागू क्षेत्र	छावनी क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण राजस्थान
उद्देश्य	नगर निगम, नगर परिषद एवं नगरपालिका बोर्डों के गठन, प्रशासन, शक्तियों एवं कार्यों का विनियमन

तत्कालीन मुख्यमंत्री

- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के लागू होने के समय अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम को लागू करने तथा नगरीय निकायों में इसकी व्यवस्था स्थापित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

राज्यपाल की स्वीकृति

- इस अधिनियम को 11 सितम्बर 2009 को तत्कालीन राज्यपाल शैलेन्द्र कुमार सिंह की स्वीकृति प्राप्त हुई। किसी भी विधेयक को कानून का रूप देने के लिए राज्यपाल की अनुमति एक आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया होती है।
- राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही विधेयक “अधिनियम” (Act) बनता है; अर्थात् विधानसभा से पारित होने मात्र से वह पूर्ण कानून नहीं माना जाता।
- यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख दें, तो ऐसी स्थिति में अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है; विशेषतः जब विधेयक संविधान, संघीय कानूनों या राष्ट्रीय हित से संबंधित प्रश्न उत्पन्न करता हो।

राजपत्र में प्रकाशन

- राज्यपाल की स्वीकृति के बाद इस अधिनियम को राजस्थान राजपत्र (भाग 4(क)) में प्रकाशित किया गया। राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात ही किसी अधिनियम को आधिकारिक एवं वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है।

अधिनियम संख्या

- इस कानून को “राजस्थान अधिनियम संख्या 18, वर्ष 2009” के रूप में अधिसूचित किया गया। अधिनियम संख्या किसी कानून की पहचान एवं अभिलेखीय संदर्भ के लिए निर्धारित की जाती है।

लागू होने की तिथि

- यह अधिनियम 15 सितम्बर 2009 से प्रभावी हुआ। इसी तिथि से इसके प्रावधान विधिक रूप से लागू हुए तथा संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाएँ प्रारम्भ की गईं।

क्षेत्रीय विस्तार

- यह अधिनियम छावनी क्षेत्रों (Cantonment Areas) को छोड़कर पूरे राजस्थान राज्य में लागू है। सैन्य प्रशासन के अधीन आने वाले छावनी क्षेत्र इसके दायरे से बाहर रखे गए हैं।

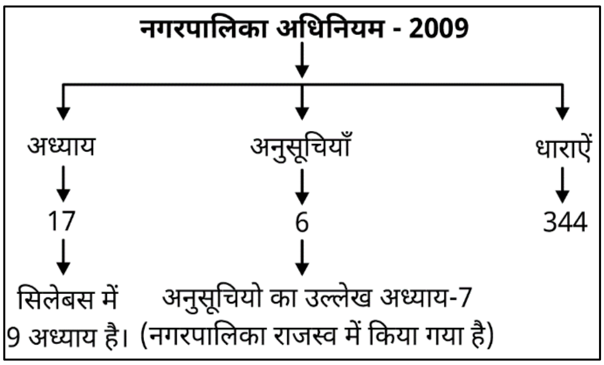

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009: अध्याय एवं धाराएं

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009

अध्याय : 17

- अध्याय 1: प्रस्तावना (धारा 1-2)
- अध्याय 2: नगरपालिकाओं का गठन व शासन (धारा 3-50)
- अध्याय 3: कार्य संचालन व वार्ड समितियाँ (धारा 51-66)
- अध्याय 4: नगरपालिका संपत्ति (धारा 67-74)
- अध्याय 5: नगरपालिका वित्त व नगरपालिका निधि (धारा 75-89)
- अध्याय 6: राजस्व (धारा 90-140)
- अध्याय 7: उधार लेना (धारा 141-148)
- अध्याय 8: लेखा व संपरीक्षा (धारा 149-158)
- अध्याय 9: शक्तियाँ, अपराध व अभियोजन (धारा 159-234)
- अध्याय 10: नियंत्रण (धारा 235-248)
- अध्याय 11: नगर विकास व नगर योजना (धारा 249-278)
- अध्याय 12: मुख्य नगरपालिका अधिकारी (धारा 279-296)
- अध्याय 13: संयुक्त बोर्ड व अभियोजन (धारा 297-308)
- अध्याय 14: नियम, उपविधियाँ व विनियम (धारा 309-317)
- अध्याय 15: नगरपालिका सेवा (धारा 318-327)
- अध्याय 16: चुनाव (धारा 328-339)
- अध्याय 17: प्रकीर्ण (धारा 340-344)

अनुसूचियाँ और उनसे संबंधित धाराएँ

- अनुसूची 1: निर्वाचन नियम (धारा 328)
- अनुसूची 2: कर/फीस (धारा 102)
- अनुसूची 3: नगरपालिका कर्मचारी (धारा 320)
- अनुसूची 4: अपराध/दंड (धारा 234)
- अनुसूची 5: प्रपत्र व प्रारूप (धारा 60)
- अनुसूची 6: निरसन/व्यावृत्ति (धारा 345)

नगरपालिका अधिनियम, 2009 : अनुसूचियाँ (Schedules)

अनुसूची	संबंधित धारा	विषय	संक्षिप्त विवरण
प्रथम अनुसूची	धारा 108	कर अधिरोपण (Tax Levy) एवं आपत्तियाँ आमंत्रित करने का नोटिस	जब नगरपालिका कोई नया कर लगाना चाहती है, तो नागरिकों से सुझाव एवं आपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए इस प्रारूप का उपयोग करती है।
द्वितीय अनुसूची	धारा 117	भवन या भूमि के अंतरण की सूचना (दाता द्वारा)	संपत्ति का वर्तमान स्वामी (दाता/विक्रेता) स्वामित्व परिवर्तन की सूचना नगरपालिका को इस निर्धारित प्रारूप में देता है।
तृतीय अनुसूची	धारा 117	भवन या भूमि के अंतरण की सूचना (आदाता द्वारा)	संपत्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति (आदाता/क्रेता) स्वामित्व प्राप्ति की सूचना नगरपालिका को इस प्रारूप में देता है।
चतुर्थ अनुसूची	धारा 130	बकाया राशि हेतु माँग नोटिस (Notice of Demand)	कर या अन्य देय राशि जमा न करने पर संबंधित व्यक्ति को भुगतान के लिए औपचारिक नोटिस जारी किया जाता है।
पंचम अनुसूची	धारा 131	कुर्की वारंट (Warrant) का प्रारूप	माँग नोटिस के बाद भी भुगतान न होने पर संपत्ति की कुर्की हेतु अधिकृत वारंट जारी किया जाता है।
षष्ठम अनुसूची	धारा 133	कुर्क संपत्ति की सूची एवं बिक्री/नीलामी नोटिस	कुर्क की गई संपत्ति का विवरण तथा उसकी नीलामी या बिक्री की सूचना देने हेतु निर्धारित प्रारूप।

अभ्यास प्रश्न

1. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 का अधिनियम संख्या क्या है?
(a) अधिनियम संख्या 16, 2009
(b) अधिनियम संख्या 17, 2009
(c) अधिनियम संख्या 18, 2009
(d) अधिनियम संख्या 19, 2009 **[c]**

2. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 किस तिथि से प्रभावी हुआ?
(a) 11 सितम्बर, 2009
(b) 15 सितम्बर, 2009
(c) 18 सितम्बर, 2009
(d) 1 अक्टूबर, 2009 **[b]**

3. निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्र राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के दायरे से बाहर है?
(a) नगर परिषद क्षेत्र (b) नगर निगम क्षेत्र
(c) नगरपालिका बोर्ड क्षेत्र (d) छावनी क्षेत्र **[d]**

4. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है। नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए-
कथन (A): राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को 11 सितम्बर, 2009 को राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई।
कारण (R): राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही विधानसभा द्वारा पारित विधेयक अधिनियम (Act) बनता है।
(a) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
(b) (A) और (R) दोनों सही हैं, किन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता।
(c) (A) सही है, किन्तु (R) गलत है।
(d) (A) गलत है, किन्तु (R) सही है। **[a]**

5. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है। नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए-
कथन (A): राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 सम्पूर्ण राजस्थान में लागू है।
कारण (R): यह अधिनियम छावनी क्षेत्रों (Cantonment Areas) पर भी लागू होता है।
(a) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
(b) (A) और (R) दोनों सही हैं, किन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता।
(c) (A) सही है, किन्तु (R) गलत है।
(d) (A) गलत है, किन्तु (R) सही है। **[c]**

6. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है। नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए-
कथन (A): राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 का राजपत्र प्रकाशन भाग 4(क) में हुआ।
कारण (R): राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात ही अधिनियम को आधिकारिक एवं वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है।
(a) (A) सही है, किन्तु (R) गलत है।
(b) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
(c) (A) और (R) दोनों सही हैं, किन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता।
(d) (A) गलत है, किन्तु (R) सही है। **[b]**

7. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है। नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए-
कथन (A): राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के लागू होने के समय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे।
कारण (R): उस समय 14वीं राजस्थान विधानसभा कार्यरत थी।
(a) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
(b) (A) और (R) दोनों सही हैं, किन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता।
(c) (A) सही है, किन्तु (R) गलत है।
(d) (A) गलत है, किन्तु (R) सही है। **[c]**

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 नगरीय स्थानीय निकायों से संबंधित प्रमुख कानून है।
2. यह नगर निगम, नगर परिषद एवं नगरपालिका बोर्डों के गठन का प्रावधान करता है।
3. यह पंचायत समितियों के गठन से संबंधित अधिनियम है।
4. इसका उद्देश्य नगरीय निकायों की शक्तियों एवं प्रशासन का विनियमन करना है।
सही उत्तर चुनिए-
(a) केवल 1, 2 एवं 4 (b) केवल 2 एवं 3
(c) केवल 1 एवं 3 (d) केवल 3 एवं 4 **[a]**

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. अधिनियम को 11 सितम्बर, 2009 को राज्यपाल की स्वीकृति मिली।
2. यह 15 सितम्बर, 2009 से प्रभावी हुआ।
3. इसे राजस्थान अधिनियम संख्या 18, वर्ष 2009 के रूप में अधिसूचित किया गया।
4. यह छावनी क्षेत्रों सहित पूरे राजस्थान में लागू है।
सही उत्तर चुनिए-
(a) केवल 1, 2 एवं 3 (b) केवल 2 एवं 4
(c) केवल 1 एवं 4 (d) 1, 2, 3 एवं 4 **[a]**

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. प्रथम अनुसूची कर अधिरोपण से संबंधित है।
2. द्वितीय अनुसूची भवन या भूमि के अंतरण की सूचना (दाता द्वारा) से संबंधित है।
3. पंचम अनुसूची माँग नोटिस से संबंधित है।
4. षष्ठम अनुसूची कुर्क संपत्ति की सूची एवं नीलामी सूचना से संबंधित है।
सही उत्तर चुनिए-
(a) केवल 1 एवं 2
(b) केवल 1, 2 एवं 4
(c) केवल 2, 3 एवं 4
(d) सभी कथन सही हैं। **[b]**

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. यह अधिनियम 13वीं राजस्थान विधानसभा के कार्यकाल में पारित हुआ।
2. तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह शेखावत थे।
3. इसका राजपत्र प्रकाशन भाग 4(क) में हुआ।
4. यह अधिनियम ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है।
सही उत्तर चुनिए-
(a) केवल 1 एवं 2 (b) केवल 2 एवं 4
(c) केवल 1, 2 एवं 3 (d) केवल 1, 3 एवं 4 **[c]**

12. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए-

सूची-I	**सूची-II**
A. प्रथम अनुसूची	**1. कुर्की वारंट**
B. द्वितीय अनुसूची	**2. कर अधिरोपण**
C. चतुर्थ अनुसूची	**3. दाता द्वारा अंतरण सूचना**
D. पंचम अनुसूची	**4. माँग नोटिस**

(a) A-3, B-2, C-1, D-4
(b) A-2, B-3, C-4, D-1
(c) A-2, B-1, C-4, D-3
(d) A-4, B-3, C-2, D-1 **[b]**

13. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए-

सूची-I	**सूची-II**
A. राज्यपाल की स्वीकृति	**1. 15 सितम्बर, 2009**
B. लागू होने की तिथि	**2. 11 सितम्बर, 2009**
C. अधिनियम संख्या	**3. 18/2009**
D. विधानसभा	**4. 13वीं विधानसभा**

(a) A-2, B-1, C-3, D-4
(b) A-1, B-2, C-4, D-3
(c) A-3, B-1, C-2, D-4
(d) A-2, B-3, C-1, D-4 **[a]**

14. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए-

सूची-I	**सूची-II**
A. धारा 108	**1. भवन/भूमि अंतरण सूचना**
B. धारा 117	**2. कर अधिरोपण**
C. धारा 130	**3. माँग नोटिस**
D. धारा 131	**4. कुर्की वारंट**

(a) A-1, B-2, C-4, D-3
(b) A-2, B-1, C-4, D-3
(c) A-2, B-1, C-3, D-4
(d) A-3, B-4, C-2, D-1 **[c]**

15. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए-

सूची-I	**सूची-II**
A. अशोक गहलोत	**1. विधानसभा अध्यक्ष**
B. दीपेन्द्र सिंह शेखावत	**2. मुख्यमंत्री**
C. शैलेन्द्र कुमार सिंह	**3. राज्यपाल**
D. भाग 4(क)	**4. राजपत्र प्रकाशन**

(a) A-1, B-2, C-3, D-4
(b) A-2, B-4, C-1, D-3
(c) A-3, B-1, C-2, D-4
(d) A-2, B-1, C-3, D-4 **[d]**

♦♦♦♦

धारा 1 : संक्षिप्त नाम, क्षेत्रीय विस्तार एवं प्रारम्भ

◈ इस धारा में अधिनियम के नाम, इसके लागू क्षेत्र तथा लागू होने की तिथि का उल्लेख किया गया है।

संक्षिप्त नाम

◈ इस कानून का नाम "राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009" है।

क्षेत्रीय विस्तार

◈ यह अधिनियम छावनी क्षेत्रों (Cantonment Areas) को छोड़कर पूरे राजस्थान राज्य में लागू होता है।

प्रारम्भ (लागू होने की तिथि)

◈ राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना जारी कर इस अधिनियम को 15 सितम्बर 2009 से पूरे राजस्थान में लागू किया।

धारा - 2: महत्वपूर्ण परिभाषाएँ

इस धारा में अधिनियम में इस्तेमाल होने वाले तकनीकी शब्दों को परिभाषित किया गया है। आपके द्वारा साझा की गई मुख्य परिभाषाओं का विश्लेषण इस प्रकार है:

संपरीक्षक (Auditor)

◈ नगरपालिका के खातों और खर्चों की जांच करने वाला अधिकारी।

◈ इस शब्द से वही संपरीक्षक (ऑडिटर) अभिप्रेत है जिसे राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (अधिनियम संख्या 28, 1954) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।

पिछड़े वर्ग (Backward Classes)

◈ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)।

◈ ऐसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिक वर्ग, जो अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) से अलग हों।

◈ राज्य सरकार समय-समय पर जिन्हें पिछड़ा वर्ग घोषित या अधिसूचित करे, वे इस श्रेणी में शामिल होंगे।

तुलनपत्र (Balance Sheet)

◈ नगरपालिका की आर्थिक स्थिति का विवरण।

◈ यह एक वित्तीय विवरण (Financial Statement) है, जिसे इस अधिनियम की धारा 92 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार तैयार किया जाता है।

◈ इसमें नगरपालिका की आय, व्यय, संपत्तियां और देनदारियां दर्शाई जाती हैं।

जीव-चिकित्सा अपशिष्ट (Bio-Medical Waste)

◈ अस्पतालों, क्लीनिकों, प्रयोगशालाओं या स्वास्थ्य संस्थानों से निकलने वाला ऐसा कचरा, जिससे संक्रमण फैलने की संभावना होती है।

◈ यह अपशिष्ट मनुष्यों या पशुओं के उपचार, रोग की जांच (Diagnosis), टीकाकरण (Immunization), अनुसंधान या दवाओं के परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।

❖ **जीव-चिकित्सा अपशिष्ट के प्रमुख प्रकार:**

(क) मानव शारीरिक अपशिष्ट

◈ मानव शरीर के कटे हुए अंग, ऊतक (Tissues) आदि।

(ख) पशु अपशिष्ट

◈ पशुओं के अंग, ऊतक तथा अनुसंधान में प्रयुक्त पशुओं के अवशेष।

(ग) सूक्ष्मजीव विज्ञान एवं जैव-प्रौद्योगिकी अपशिष्ट

◈ प्रयोगशाला में प्रयुक्त कल्चर (Cultures), जीवित टीके तथा अन्य जैविक सामग्री।

(घ) तीक्ष्ण अपशिष्ट (Sharps)

◈ उपयोग की गई सुइयां, सिरिंज, ब्लेड, चाकू और टूटा हुआ कांच आदि।

(ङ) परित्यक्त औषधियां

◈ एक्सपायरी दवाएं तथा कैंसर उपचार में प्रयुक्त साइटोटॉक्सिक (Cytotoxic) दवाएं।

(च) ठोस अपशिष्ट

◈ पट्टियां, प्लास्टर, रक्त से सनी रुई, ड्रेसिंग सामग्री आदि।

(छ) द्रव अपशिष्ट

◈ संक्रमित तरल पदार्थ तथा प्रयोगशालाओं की सफाई से निकला दूषित पानी।

(ज) भस्मन राख (Incineration Ash)

◈ चिकित्सा अपशिष्ट को जलाने के बाद बची हुई राख।

(झ) रासायनिक अपशिष्ट

◈ कीटाणुशोधन (Disinfection) तथा अन्य चिकित्सा कार्यों में उपयोग किए गए रसायनों से उत्पन्न अपशिष्ट।]

बजट प्राक्कलन (Budget Estimate)

◈ आने वाले वित्तीय वर्ष की आय और व्यय का अनुमानित विवरण।

◈ यह नगरपालिका द्वारा प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाने वाला वार्षिक बजट है।

◈ इसे इस अधिनियम की धारा 87 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया जाता है।

◈ इसमें आगामी वर्ष की संभावित आय और खर्च का अनुमान दर्शाया जाता है।

बजट अनुदान (Budget Grant)

◈ किसी विशेष कार्य या योजना के लिए बजट में स्वीकृत धनराशि।

◈ नगरपालिका के बजट में किसी मुख्य शीर्ष के अंतर्गत खर्च के लिए निर्धारित कुल राशि को बजट अनुदान कहा जाता है।

- इसमें वर्ष के दौरान नियमों के अनुसार की गई राशि का अन्तरण, वृद्धि या कटौती (Reduction) भी शामिल होती है।

भवन-निर्माता या विकासकर्ता

- भवन या कॉम्प्लेक्स बनाने वाला व्यक्ति, संस्था या कंपनी।
- कोई भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संस्था या एजेंसी जो किसी भवन या कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है।
- निर्माण अपनी भूमि पर या किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर किए गए समझौते के आधार पर किया जा सकता है।

भवन (Building)

- रहने, व्यापार, कार्यालय या किसी अन्य उद्देश्य के लिए बनाई गई स्थायी संरचना।
- **भवन में शामिल हैं:**
  - नींव
  - प्लिन्थ
  - दीवारें
  - फर्श
  - छतें
  - चिमनियां
  - चबूतरे
  - बरामदे
  - बालकनी
  - कार्निस/छज्जे
  - 3 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सीमा दीवार
- **भवन में शामिल नहीं हैं:**
- तम्बू (Tent)
- शामियाना
- तिरपाल से बने अस्थायी आश्रय
- 3 मीटर से कम ऊंचाई वाली सीमा दीवार

भवन-स्थल (Building Site)

- वह भूमि या भू-भाग जिसे भवन निर्माण के लिए रखा गया हो।
- ऐसी जमीन या उसका कोई भाग, जिसे मकान, दुकान, कार्यालय या अन्य भवन बनाने के उद्देश्य से धारण (Hold) किया गया हो।

अध्यक्ष (Chairperson)

- नगरपालिका के स्तर के अनुसार उसके प्रमुख (Head) का पदनाम अलग-अलग होता है। अधिनियम में इन्हें निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है:

नगरीय निकाय का स्तर	अधिनियम के अनुसार 'अध्यक्ष' का पदनाम
नगरपालिक बोर्ड	अध्यक्ष)
नगर परिषद्	सभापति
नगर निगम	महापौर

मुख्य नगरपालिक अधिकारी

- प्रत्येक नगरीय निकाय में प्रशासनिक कार्यों (Administrative Functions) का संचालन करने के लिए एक प्रमुख अधिकारी नियुक्त किया जाता है। निकाय के स्तर के अनुसार उसका पदनाम अलग-अलग होता है।

नगरीय निकाय का स्तर	अधिनियम के अनुसार 'मुख्य नगरपालिक अधिकारी'
नगर निगम	मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं आयुक्त
नगर परिषद्	आयुक्त
नगरपालिक बोर्ड	कार्यपालक अधिकारी

पूर्ण दिवस (Clear Days)

- **सरल अर्थ:** जब इस अधिनियम के अंतर्गत किसी नोटिस (Notice) के लिए निर्धारित अवधि, जैसे 7 दिन, 15 दिन या अन्य कोई समय-सीमा की गणना की जाती है, तो उसे 'पूर्ण दिवस (Clear Days)' के आधार पर गिना जाता है।
- **इसमें क्या शामिल किया जाता है:**
- रविवार (Sunday) को भी गणना में शामिल किया जाता है।
- सभी सरकारी अवकाश भी गणना में शामिल किए जाते हैं।
- बीच में आने वाले अन्य सामान्य अवकाश भी गणना में जोड़े जाते हैं।
- **इसमें क्या शामिल नहीं किया जाता है (अपवाद):**
- जिस दिन संबंधित व्यक्ति को नोटिस (Notice) प्राप्त हुआ हो, वह दिन।
- नोटिस में उपस्थित होने या कार्य करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि (Specified Date)।
- **उदाहरण:**
- यदि किसी व्यक्ति को 1 तारीख को नोटिस प्राप्त होता है और उसे 10 तारीख को उपस्थित होना है, तो 1 तारीख तथा 10 तारीख को छोड़कर बीच के दिनों की गणना की जाएगी। यही दिन 'पूर्ण दिवस (Clear Days)' कहलाते हैं।

काम्प्लेक्स (Complex)

- किसी भवन (Building) या भवन समूह (Group of Buildings) को 'काम्प्लेक्स (Complex)' तब माना जाएगा जब उसमें निर्धारित संख्या से अधिक आवासीय (Residential) या वाणिज्यिक (Commercial) इकाइयाँ (Units) हों।

उपयोग का प्रकार	न्यूनतम इकाइयों (Units/Flats/Shops) की संख्या
वाणिज्यिक उपयोग (Commercial Use)	25 या उससे अधिक दुकानें (Shops), कार्यालय (Offices) या अन्य वाणिज्यिक इकाइयाँ
आवासीय उपयोग (Residential Use)	10 या उससे अधिक फ्लैट (Flats), मकान (Houses) या आवासीय इकाइयाँ

- यदि कोई भवन उपर्युक्त संख्या की शर्तों को पूरा करता है, तो उसे अधिनियम के अनुसार 'काम्प्लेक्स ' माना जाएगा।

निगम पार्षद

- ◈ नगर निगम (का कोई भी निर्वाचित या मनोनीत सदस्य 'निगम पार्षद (Corporator)' कहलाता है।
- ❖ **अर्थात्:**
- ◈ चुनाव द्वारा चुना गया सदस्य (Elected Member)।
- ◈ सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मनोनीत सदस्य (Nominated Member)।
- ◈ दोनों ही श्रेणियों के सदस्य **'निगम पार्षद (Corporator)'** की परिभाषा में शामिल होते हैं।

पार्षद (Councillor)

- ◈ नगर परिषद् (Municipal Council) के प्रत्येक सदस्य (Member) को 'पार्षद (Councillor)' कहा जाता है।
- ❖ **स्पष्टीकरण:**
- ◈ नगर परिषद् (Municipal Council) के निर्वाचित अथवा अन्य विधिसम्मत सदस्य 'पार्षद (Councillor)' कहलाते हैं।
- ◈ सामान्य बोलचाल (Common Usage) में नगरपालिक बोर्ड (Municipal Board) के सदस्यों को भी पार्षद (Councillor) या सदस्य (Member) कहा जाता है।हालांकि अधिनियम में यह पदनाम मुख्य रूप से नगर परिषद् (Municipal Council) के सदस्यों के लिए प्रयुक्त किया गया है।

डेयरी (Dairy)

- ◈ कोई भी ऐसा स्थान (Place), प्रतिष्ठान (Establishment), फार्म (Farm), पशुशाला (Cattle Shed), गौशाला (Cow Shelter), दूध विक्रय केंद्र (Milk Sale Centre) या दूध भंडारण केंद्र (Milk Storage Centre), जहाँ दूध तथा उससे बने उत्पादों (Milk Products) का व्यवसायिक (Commercial) रूप से उत्पादन (Production), संग्रहण (Storage), प्रसंस्करण (Processing) या विक्रय (Sale) किया जाता हो, उसे 'डेयरी (Dairy)' कहा जाता है।
- ❖ **डेयरी (Dairy) में शामिल है:**
- ◈ ऐसा कोई स्थान जहाँ से बिक्री (Sale) के उद्देश्य से दूध (Milk) की आपूर्ति (Supply) की जाती हो या दूध को भंडारित (Stored) करके रखा जाता हो।
- ◈ ऐसा कोई प्रतिष्ठान जहाँ बिक्री (Sale) के उद्देश्य से मक्खन (Butter), घी (Ghee), पनीर (Cheese), दही (Curd), सूखा दूध (Dried Milk), संघनित दूध (Condensed Milk) अथवा टोन्ड दूध (Toned Milk) का निर्माण, प्रसंस्करण या तैयारी (Preparation) की जाती हो।
- ❖ **डेयरी (Dairy) के अपवाद (Exceptions) –**
- ◈ जो डेयरी की परिभाषा में शामिल नहीं हैं:

1. **परिसर के भीतर उपभोग (Consumption Within Premises):** ऐसी चाय की दुकान (Tea Stall), होटल (Hotel), रेस्टोरेंट (Restaurant) या अन्य खान-पान प्रतिष्ठान (Eating Establishment), जहाँ दूध (Milk) का उपयोग केवल उसी परिसर (Premises) के भीतर चाय (Tea), कॉफी (Coffee) या अन्य खाद्य पदार्थों (Food Items) के निर्माण एवं उपभोग (Consumption) के लिए किया जाता हो तथा दूध को अलग से ग्राहकों को घर ले जाने के लिए नहीं बेचा जाता हो।
2. **सीलबंद पैकेट या डिब्बों की बिक्री (Sale of Sealed Packs or Containers):** ऐसी कोई दुकान (Shop) या विक्रय केंद्र (Sales Outlet), जहाँ दूध (Milk) केवल मूल सीलबंद पैकेट (Original Sealed Packets) या वायुरुद्ध डिब्बों (Air-Tight Containers) में उसी अवस्था (Original Condition) में बेचा जाता हो, जिस अवस्था में वह निर्माता कंपनी से प्राप्त हुआ हो, तथा जहाँ दूध को खोलकर (Open) या ढीले रूप (Loose Form) में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाता हो।

खतरनाक रोग (Dangerous Disease)

- ◈ ऐसे रोग (Diseases) जो तेजी से फैल सकते हैं, लोगों के स्वास्थ्य (Health) के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकते हैं तथा महामारी (Epidemic) का रूप ले सकते हैं, उन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत 'खतरनाक रोग' माना गया है।
- ◈ इन रोगों में मुख्य रूप से शामिल हैं:
  1. हैजा (Cholera)
  2. प्लेग (Plague)
  3. चेचक (Smallpox)
  4. प्रमस्तिष्क सुषुम्नावरण-शोथ (Meningitis)
  5. डिप्थीरिया (Diphtheria)
  6. क्षय रोग (Tuberculosis - TB)
  7. कुष्ठ रोग (Leprosy)
  8. इंफ्लुएंजा (Influenza)
  9. मस्तिष्क कला शोथ (Encephalitis)
  10. पोलियो (Polio)
  11. उपदंश (Syphilis)
- ◈ **इसके अतिरिक्त:** राज्य सरकार (State Government) किसी अन्य संक्रामक रोग (Infectious Disease), महामारी (Epidemic Disease) या विशेष बीमारी को अधिसूचना (Notification) जारी करके 'खतरनाक रोग (Dangerous Disease)' घोषित कर सकती है।

पार्किंग स्थान में न्यूनता

- ◈ यदि किसी गैर-आवासीय भवन (Non-Residential Building), वाणिज्यिक भवन (Commercial Building) या काम्प्लेक्स (Complex) में उप-विधियों (Bye-laws) के अनुसार निर्धारित पार्किंग स्थान (Parking Space) से कम पार्किंग छोड़ी जाती है, तो उसे 'पार्किंग स्थान में न्यूनता (Shortage of Parking Space)' माना जाएगा।

❖ **यह स्थिति निम्न कारणों से उत्पन्न हो सकती है:**
◈ अवैध निर्माण के कारण।
◈ भूमि उपयोग परिवर्तन के कारण।
◈ स्वीकृत मानकों के विपरीत निर्माण कार्य होने के कारण।

निदेशक, स्थानीय निकाय

◈ राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों (Local Bodies) के प्रशासन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण (Supervision) के लिए नियुक्त अधिकारी को 'निदेशक, स्थानीय निकाय (Director of Local Bodies - DLB)' कहा जाता है।
❖ **इसमें शामिल हैं:**
◈ राज्य सरकार द्वारा इस पद पर नियुक्त अधिकारी।
◈ ऐसा आयुक्त जिसे राज्य सरकार द्वारा इस रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत (Authorized) किया गया हो।

व्ययन (Disposal)

◈ नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (Municipal Solid Waste) का अंतिम एवं सुरक्षित निपटान (Final Disposal) वैज्ञानिक विधियों (Scientific Methods) से करना, ताकि पर्यावरण (Environment) को नुकसान न पहुंचे।
❖ **इसका उद्देश्य है:**
◈ भूजल (Ground Water) को प्रदूषण (Pollution) से बचाना।
◈ सतही जल (Surface Water) को सुरक्षित रखना।
◈ वायु (Air) को प्रदूषित होने से रोकना।
◈ सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) की रक्षा करना।

जिला मजिस्ट्रेट

◈ **दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973** (Code of Criminal Procedure - CrPC, 1973) की **धारा 20** के अंतर्गत नियुक्त जिला कलेक्टर (District Collector) या जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) को इस अधिनियम में 'जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate)' कहा गया है।
◈ राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट को नगरपालिका प्रशासन से संबंधित कुछ मामलों में पर्यवेक्षण (Supervision), नियंत्रण (Control) तथा आवश्यक निर्देश (Directions) जारी करने की वैधानिक शक्ति प्राप्त होती है।

नाली (Drain)

◈ कोई भी ऐसी संरचना (Structure) या व्यवस्था (System) जिसके माध्यम से गंदा पानी (Waste Water), मल (Sewage), वर्षा जल (Rain Water) या भूमिगत जल (Sub-Soil Water) का निकास (Drainage) किया जाता हो, उसे 'नाली (Drain)' कहा जाता है।
❖ **इसमें शामिल हैं:**
1. मलनाली (Sewer)
2. पाइप (Pipe)
3. खाई (Ditch)
4. जलसरणी (Water Channel)

◈ इसके साथ-साथ निम्न उपकरण भी नाली (Drain) का हिस्सा माने जाते हैं: शौचालय पात्र (Commode), सिंक (Sink), हौज (Cistern), फ्लश टैंक (Flush Tank)

कार्यपालक समिति

◈ इस अधिनियम की **धारा 55 (Section 55)** के अंतर्गत गठित की जाने वाली मुख्य प्रशासनिक समिति (Principal Administrative Committee) को 'कार्यपालक समिति (Executive Committee)' कहा जाता है।
◈ यह समिति नगरपालिका (Municipality) के विभिन्न प्रशासनिक एवं कार्यकारी मामलों (Executive Matters) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
◈ कार्यपालक समिति नगरपालिका की विभिन्न स्थायी समितियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करती है तथा प्रशासनिक कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करती है।
◈ कार्यपालक समिति नगरपालिका के दैनिक प्रशासन, विकास कार्यों तथा वित्तीय एवं कार्यकारी विषयों से संबंधित मामलों पर विचार कर आवश्यक अनुशंसाएँ एवं निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वित्त आयोग

◈ भारतीय संविधान के अनुच्छेद **243-I (Article 243-I)** के अंतर्गत गठित राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) को इस अधिनियम में **'वित्त आयोग (Finance Commission)'** कहा गया है।
◈ यह आयोग स्थानीय निकायों (Local Bodies) की वित्तीय स्थिति (Financial Position) का परीक्षण करता है तथा वित्तीय संसाधनों (Financial Resources) के वितरण के संबंध में सिफारिशें (Recommendations) देता है।
◈ राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक पाँच वर्ष के भीतर राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ताकि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन किया जा सके।
◈ वित्त आयोग राज्य के करों, शुल्कों, पथकरों एवं फीसों के शुद्ध आगम (Net Proceeds) के राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों के मध्य वितरण तथा स्थानीय निकायों को अनुदान (Grants-in-Aid) प्रदान किए जाने के संबंध में राज्यपाल को सिफारिशें करता है।

वित्तीय विवरण (Financial Statement)

- धारा 92 (Section 92) के अंतर्गत तैयार किया जाने वाला आय (Income), व्यय (Expenditure), प्राप्तियों (Receipts) तथा भुगतानों (Payments) का विस्तृत लेखा-जोखा 'वित्तीय विवरण (Financial Statement)' कहलाता है।
- वित्तीय विवरण नगरपालिका की वित्तीय पारदर्शिता (Financial Transparency), उत्तरदायित्व (Accountability) एवं प्रभावी वित्तीय प्रबंधन (Financial Management) का महत्वपूर्ण आधार होता है तथा इसके माध्यम से आय-व्यय की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है।

परिसंकटमय अपशिष्ट (Hazardous Waste)

- ऐसा कचरा (Waste) या अपशिष्ट पदार्थ (Waste Material) जो मानव स्वास्थ्य (Human Health) अथवा पर्यावरण (Environment) के लिए खतरनाक हो तथा जिसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (Environment Protection Act, 1986) के अंतर्गत परिसंकटमय अपशिष्ट (Hazardous Waste) घोषित किया गया हो।

निवासी (Inhabitant)

- ऐसा व्यक्ति जो संबंधित स्थानीय क्षेत्र (Local Area) में सामान्य रूप से निवास (Residence) करता हो, व्यवसाय (Business) करता हो अथवा वहाँ किसी अचल संपत्ति (Immovable Property) का स्वामी (Owner) या अधिभोगी (Occupier) हो।

भूमि (Land)

- भूमि (Land) में केवल खाली जमीन ही शामिल नहीं होती, बल्कि ऐसी भूमि भी शामिल होती है—
- जिस पर भवन या अन्य निर्माण किया गया हो।
- जो जल से ढकी हुई हो।
- जो किसी अन्य उपयोग में लाई जा रही हो।

नवीनतम जनगणना आंकड़े

- वह नवीनतम जनगणना (Latest Census) जिसके आधिकारिक आंकड़े (Official Figures) सरकार द्वारा प्रकाशित किए जा चुके हों, उसे 'नवीनतम जनगणना आंकड़े (Latest Census Figures)' कहा जाता है।
- जब तक किसी नई जनगणना के आधिकारिक आँकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, तब तक पूर्ववर्ती प्रकाशित जनगणना के आँकड़े ही वैधानिक एवं प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए मान्य रहते हैं।

बासा (Lodging House)

- तीर्थयात्रियों (Pilgrims), यात्रियों (Travellers) या मुसाफिरों (Wayfarers) के अस्थायी निवास (Temporary Stay) के लिए उपयोग में लिए जाने वाले भवन (Buildings), भवनों के समूह (Group of Buildings) या धर्मशालाओं (Dharmshalas) को 'बासा (Lodging House)' कहा जाता है।
- नगरपालिका क्षेत्र में संचालित बासा (Lodging House) सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अग्नि सुरक्षा तथा अन्य नगरपालिका उपविधियों (Municipal Bye-laws) के अधीन होता है तथा आवश्यक होने पर नगरपालिका द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

सदस्य (Member)

- नगरपालिका (Municipality) का कोई भी विधिसम्मत (Legally Recognized) सदस्य 'सदस्य (Member)' कहलाता है।
- **उदाहरण:**
  1. नगर निगम में निगम पार्षद ।
  2. नगर परिषद् में पार्षद ।
  3. नगरपालिक बोर्ड में सदस्य ।

नगरपालिक लेखा निर्देशिका

- धारा 91 (Section 91) के अंतर्गत तैयार एवं संधारित (Maintained) की जाने वाली लेखा प्रणाली (Accounting System) और वित्तीय प्रक्रियाओं (Financial Procedures) से संबंधित मार्गदर्शिका (Manual) को 'नगरपालिक लेखा निर्देशिका (Municipal Accounts Manual)' कहा जाता है।

नगरपालिक निधि (Municipal Fund)

- धारा 79 (Section 79) के अंतर्गत स्थापित नगरपालिका (Municipality) का मुख्य कोष (Main Fund) या बैंक खाता (Bank Account) 'नगरपालिक निधि (Municipal Fund)' कहलाता है।

नगरपालिक ठोस अपशिष्ट

- शहरी क्षेत्र (Urban Area) में उत्पन्न होने वाला घरेलू (Domestic) तथा वाणिज्यिक (Commercial) सूखा (Dry Waste) और गीला कचरा (Wet Waste) 'नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (Municipal Solid Waste)' कहलाता है।
- **इसमें शामिल है:**
- उपचारित जीव-चिकित्सा अपशिष्ट।
- **इसमें शामिल नहीं है:**
- औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्ट।

अनापत्ति प्रमाणपत्र

- किसी सक्षम या अधिकृत अधिकारी (Authorized Officer) द्वारा जारी किया गया ऐसा प्रमाणपत्र (Certificate), जिसमें किसी कार्य, निर्माण या गतिविधि के प्रति कोई आपत्ति नहीं होने की पुष्टि की जाती है।
- **इसमें शामिल हैं:**
- स्थायी अनापत्ति प्रमाणपत्र (Permanent NOC)।
- अस्थायी या प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र (Provisional NOC)।

न्यूसेंस (Nuisance)

- कोई भी ऐसा कार्य (Act), चूक (Omission), स्थान (Place), वस्तु (Thing) या स्थिति (Condition), जो लोगों को असुविधा (Inconvenience), परेशानी (Annoyance), खतरा (Danger) या हानि (Injury) पहुँचाती हो, 'न्यूसेंस (Nuisance)' कहलाती है।
- **यह ऐसी स्थिति भी हो सकती है जो—**

1. देखने की क्षमता (Sight) को प्रभावित करे।
2. सूंघने की क्षमता (Smell) को प्रभावित करे।
3. सुनने की क्षमता (Hearing) को प्रभावित करे।
4. जीवन (Life), स्वास्थ्य (Health) या संपत्ति (Property) के लिए हानिकारक हो।

अधिभोगी (Occupier)

- वह व्यक्ति जो किसी भवन (Building) या भूमि (Land) का किराया (Rent) देता हो या बिना किराया दिए (Rent-Free) वैध रूप से उपयोग कर रहा हो, 'अधिभोगी (Occupier)' कहलाता है।
- **विशेष प्रावधान (Special Provision):**
- यदि भवन या भूमि का स्वामी (Owner) स्वयं उसमें निवास (Reside) कर रहा हो या उसका उपयोग कर रहा हो, तो वही व्यक्ति 'अधिभोगी (Occupier)' माना जाएगा।

घृणोत्पादक पदार्थ (Offensive Matter)

- ऐसा कचरा (Waste) या पदार्थ (Material) जो गंदगी, दुर्गंध (Bad Odour) या अस्वच्छता (Uncleanliness) उत्पन्न करता हो, 'घृणोत्पादक पदार्थ' कहलाता है।
- **उदाहरण:**

1. रसोई का कचरा (Kitchen Waste)
2. अस्तबल का कचरा (Stable Refuse)
3. गोबर (Dung)
4. सड़ा-गला पदार्थ (Decayed Matter)
5. अन्य प्रकार की गंदगी (Filth)

- **नोट:** मल (Human Excreta) को इस परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है।

नगरपालिका का अधिकारी

- इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अधिकृत पद (Authorized Post) पर कार्यरत व्यक्ति 'नगरपालिका का अधिकारी (Officer of the Municipality)' कहलाता है।
- नगरपालिका का अधिकारी अधिनियम, नियमों, उपविधियों (Bye-laws) तथा नगरपालिका के वैध आदेशों के अनुसार अपने प्रशासनिक एवं वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करता है।
- **नोट:** नगरपालिका (Municipality) या उसकी किसी समिति (Committee) के निर्वाचित नेता (Leader) अथवा सदस्य (Member) को इस परिभाषा के अंतर्गत 'अधिकारी (Officer)' नहीं माना जाएगा।

अन्य अभिकरण (Other Agency)

- कोई भी निजी संस्था (Private Entity) या सार्वजनिक संस्था (Public Entity), जो किसी कार्य या सेवा के संचालन में भाग लेती हो, 'अन्य अभिकरण (Other Agency)' कहलाती है।
- **उदाहरण:**

1. निजी कंपनी (Private Company)
2. फर्म (Firm)
3. सोसायटी (Society)
4. सरकारी एजेंसी (Government Agency)
5. संयुक्त उपक्रम (Joint Venture)

वार्ड समिति (Ward Committee)

- धारा 54 (Section 54) के अंतर्गत किसी वार्ड (Ward) या वार्डों के समूह (Group of Wards) के लिए गठित समिति को 'वार्ड समिति (Ward Committee)' कहा जाता है।
- **(I) "पूर्ण संख्या" या "कुल संख्या" (Total Number of Members):–** जब सदन (House) में बहुमत (Majority), मतदान (Voting) या कुल सदस्यों (Total Members) की संख्या की गणना की जाती है, तब सभी सदस्यों को समान रूप से शामिल नहीं किया जाता।
- **विशेष प्रावधान:**
- धारा 6(1)(क)(ii) [Section 6(1)(a)(ii)] के अंतर्गत राज्य सरकार (State Government) द्वारा मनोनीत सदस्य (Nominated Members) कुल संख्या (Total Number) में शामिल नहीं किए जाएंगे।
- केवल निर्वाचित सदस्य (Elected Members) तथा पदेन सदस्य (Ex-Officio Members), जैसे सांसद (Member of Parliament - MP) एवं विधायक (Member of Legislative Assembly - MLA), ही कुल संख्या (Total Number of Members) का हिस्सा माने जाएंगे।

धारा 2 : महत्वपूर्ण परिभाषाएँ	
परिभाषा	**संक्षिप्त सारांश**
संपरीक्षक (Auditor)	नगरपालिका के खातों का ऑडिट करने वाला अधिकारी।
पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	SC/ST को छोड़कर राज्य द्वारा अधिसूचित OBC वर्ग।
तुलनपत्र (Balance Sheet)	नगरपालिका की आय, व्यय, संपत्ति एवं देनदारियों का वित्तीय विवरण।
जीव-चिकित्सा अपशिष्ट	अस्पताल, क्लीनिक आदि से निकलने वाला संक्रमणकारी कचरा।
बजट प्राक्कलन	आगामी वर्ष की अनुमानित आय-व्यय।
बजट अनुदान	किसी कार्य हेतु बजट में स्वीकृत राशि।
भवन-निर्माता/विकासकर्ता	भवन या कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने वाला व्यक्ति/संस्था।
भवन (Building)	स्थायी निर्माण; तंबू व 3 मीटर से कम सीमा दीवार शामिल नहीं।
भवन-स्थल	भवन निर्माण हेतु निर्धारित भूमि।
अध्यक्ष (Chairperson)	बोर्ड–अध्यक्ष, परिषद–सभापति, निगम–महापौर।
मुख्य नगरपालिक अधिकारी	बोर्ड–EO, परिषद–आयुक्त, निगम–CEO/आयुक्त।
पूर्ण दिवस (Clear Days)	नोटिस मिलने का दिन व अंतिम दिन छोड़कर शेष दिनों की गणना।
काम्प्लेक्स (Complex)	≥25 व्यावसायिक या ≥10 आवासीय इकाइयों वाला भवन।
निगम पार्षद	नगर निगम का निर्वाचित/मनोनीत सदस्य।
पार्षद	नगर परिषद् का सदस्य।
डेयरी	दूध/दुग्ध उत्पादों का उत्पादन, संग्रहण, प्रसंस्करण या विक्रय स्थल।
खतरनाक रोग	हैजा, प्लेग, TB आदि तथा सरकार द्वारा अधिसूचित रोग।
पार्किंग स्थान में न्यूनता	नियमों से कम पार्किंग उपलब्ध होना।
निदेशक, स्थानीय निकाय	स्थानीय निकायों का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करने वाला अधिकारी।
व्ययन (Disposal)	ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित निपटान।
जिला मजिस्ट्रेट	CrPC के अंतर्गत नियुक्त जिला कलेक्टर/DM।
नाली (Drain)	गंदे पानी, सीवरेज एवं वर्षा जल निकासी की व्यवस्था।
कार्यपालक समिति	धारा 55 के अंतर्गत गठित प्रशासनिक समिति।
वित्त आयोग	अनुच्छेद 243-I के अंतर्गत गठित राज्य वित्त आयोग।
वित्तीय विवरण	आय-व्यय एवं प्राप्ति-भुगतान का विवरण।
परिसंकटमय अपशिष्ट	मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक अपशिष्ट।
निवासी	जो क्षेत्र में रहता, व्यवसाय करता या संपत्ति रखता हो।
भूमि	भवनयुक्त, जलमग्न या अन्य उपयोग वाली भूमि भी शामिल।
नवीनतम जनगणना	सरकार द्वारा प्रकाशित नवीनतम जनगणना आँकड़े।
बासा (Lodging House)	यात्रियों/तीर्थयात्रियों के अस्थायी निवास का स्थान।
सदस्य (Member)	नगरपालिका का विधिसम्मत सदस्य।
नगरपालिक लेखा निर्देशिका	नगरपालिका की लेखा प्रणाली एवं वित्तीय प्रक्रिया की मार्गदर्शिका।
नगरपालिक निधि	धारा 79 के अंतर्गत स्थापित नगरपालिका का मुख्य कोष।
नगरपालिक ठोस अपशिष्ट	घरेलू एवं वाणिज्यिक ठोस कचरा (औद्योगिक खतरनाक कचरा छोड़कर)।
अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC)	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी No Objection Certificate।
न्यूसेंस (Nuisance)	जनस्वास्थ्य, सुविधा या संपत्ति को हानि पहुँचाने वाली स्थिति।
अधिभोगी (Occupier)	भवन/भूमि का वैध उपयोगकर्ता या स्वामी।
घृणोत्पादक पदार्थ	दुर्गंध एवं गंदगी उत्पन्न करने वाले पदार्थ।
नगरपालिका का अधिकारी	नगरपालिका का नियुक्त अधिकारी (निर्वाचित सदस्य नहीं)।
अन्य अभिकरण	निजी/सार्वजनिक संस्था जो नगरपालिका कार्यों में भाग ले।
वार्ड समिति	धारा 54 के अंतर्गत गठित वार्ड स्तर की समिति।
पूर्ण संख्या (Total Members)	निर्वाचित एवं पदेन सदस्य शामिल; मनोनीत सदस्य शामिल नहीं।

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित प्रश्न में एक अभिकथन (Assertion-A) तथा एक कारण (Reason-R) दिया गया है। नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए—
Assertion (A): नगरपालिका निधि से भुगतान केवल राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।
Reason (R): धारा 85 लेखाओं के प्रचालन (Operation of Accounts) से संबंधित है।
(a) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(b) A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(c) A सही है, R गलत है।
(d) A गलत है, R सही है। **[a]**

2. निम्न कथनों पर विचार कीजिए—
1. अधिशेष धन (Surplus Fund) को किसी अन्य लेखा शीर्ष में स्थानांतरित किया जा सकता है।
2. वाणिज्यिक परियोजना लेखा (Commercial Project Account) का अधिशेष सामान्य लेखा में स्थानांतरित किया जा सकता है।
3. अधिशेष धन अनुसूचित बैंक में ब्याज पर जमा कराया जा सकता है।
4. अधिशेष धन लोक प्रतिभूतियों में भी निवेश किया जा सकता है।
सही विकल्प चुनिए—
(a) केवल 1, 3 एवं 4 (b) केवल 2 एवं 3
(c) केवल 1 एवं 2 (d) 1, 2, 3 एवं 4 **[a]**

3. नगरपालिका के बजट प्राक्कलन (Budget Estimate) को तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है?
(a) अध्यक्ष (Chairperson)
(b) मुख्य नगरपालिका अधिकारी
(c) निदेशक, स्थानीय निकाय
(d) कार्यपालक समिति **[b]**

4. निम्नलिखित प्रश्न में एक अभिकथन (Assertion-A) तथा एक कारण (Reason-R) दिया गया है। नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए—
Assertion (A): बजट प्राक्कलन को नगरपालिका में प्रस्तुत करने से पहले वित्त समिति (Finance Committee) द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
Reason (R): धारा 87 के अनुसार वित्तीय प्राक्कलन पहले वित्त समिति द्वारा स्वीकृत किया जाना आवश्यक है।
(a) दोनों सही तथा R सही व्याख्या है।
(b) दोनों सही, परन्तु R सही व्याख्या नहीं है।
(c) A सही, R गलत।
(d) A गलत, R सही। **[a]**

5. राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना बजट में कौन-से प्रस्ताव शामिल नहीं किए जा सकते?
1. नए पदों का सृजन।
2. नया वाहन खरीदना।
3. स्थावर संपत्ति खरीदना।
4. निजी संस्था को अनुदान देना।
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) 1, 2, 3 एवं 4
(d) केवल 1, 3 एवं 4 **[c]**

6. बजट प्राक्कलन में निम्न में से किसका भी उल्लेख किया जाता है?
(a) अगले वर्ष की ऋण राशि (Borrowings)
(b) केवल कर्मचारियों की सूची
(c) केवल करों की दरें
(d) केवल संपत्तियों का विवरण **[a]**

7. निम्नलिखित प्रश्न में एक अभिकथन (Assertion-A) तथा एक कारण (Reason-R) दिया गया है। नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए—
Assertion (A): बजट प्राक्कलन में अगले वर्ष लगाए जाने वाले कर, अधिभार, उपकर एवं फीस की दरें वर्णित की जाती हैं।
Reason (R): धारा 87(3) यही उपबंध करती है।
(a) दोनों सही तथा R सही व्याख्या है।
(b) दोनों सही, परन्तु R सही व्याख्या नहीं है।
(c) A सही, R गलत।
(d) A गलत, R सही। **[a]**

8. अध्यक्ष को बजट प्राक्कलन नगरपालिका के समक्ष अधिकतम किस तिथि तक प्रस्तुत करना होता है?
(a) 15 जनवरी
(b) 31 जनवरी
(c) 15 फरवरी
(d) 1 मार्च **[b]**

9. धारा 87 के अनुसार—
1. CMO बजट 15 जनवरी से पहले तैयार करेगा।
2. अध्यक्ष 31 जनवरी तक बजट प्रस्तुत करेगा।
3. नगरपालिका 15 फरवरी तक बजट पारित करेगी।
4. बजट के साथ धारा 74 की वार्षिक तालिका संलग्न होगी।
सही विकल्प चुनिए—
A. केवल 1,2,3
B. केवल 2,3,4
C. केवल 1,3,4
D. 1,2,3 एवं 4 **[d]**

10. निम्नलिखित प्रश्न में एक अभिकथन (Assertion-A) तथा एक कारण (Reason-R) दिया गया है। नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए—
Assertion (A): राज्य सरकार बजट में परिवर्तन करने का निर्देश दे सकती है।
Reason (R): ऐसे निर्देश नगरपालिका पर बाध्यकारी (Binding) होते हैं।
(a) दोनों सही तथा R सही व्याख्या है।
(b) दोनों सही, लेकिन R सही व्याख्या नहीं है।
(c) A सही, R गलत।
(d) A गलत, R सही। **[a]**

11. नगरपालिका द्वारा पारित बजट की प्रति किसके माध्यम से राज्य सरकार को भेजी जाती है?
(a) जिला कलेक्टर
(b) वित्त आयोग
(c) निदेशक, स्थानीय निकाय
(d) संभागीय आयुक्त **[c]**

12. धारा 89 के अनुसार नगरपालिका—
1. बजट अनुदान बढ़ा सकती है।
2. अतिरिक्त बजट अनुदान कर सकती है।
3. एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में राशि स्थानांतरित कर सकती है।
4. बजट अनुदान घटा सकती है।
सही विकल्प चुनिए—
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2,3 एवं 4
(c) 1,2,3 एवं 4
(d) केवल 1,3 एवं 4 **[c]**

13. निम्नलिखित प्रश्न में एक अभिकथन (Assertion-A) तथा एक कारण (Reason-R) दिया गया है। नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए—
Assertion (A): बिना वित्त समिति की सिफारिश के बजट अनुदान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
Reason (R): धारा 89 के अंतर्गत सभी परिवर्तन वित्त समिति की अनुशंसा पर आधारित होते हैं।
(a) दोनों सही तथा R सही व्याख्या है।
(b) दोनों सही, परन्तु R सही व्याख्या नहीं है।
(c) A सही, R गलत।
(d) A गलत, R सही। **[a]**

14. निम्न में से कौन-सा कथन सही है?
(a) Commercial Project Account का अधिशेष सामान्य लेखा में स्थानांतरित किया जा सकता है।
(b) अधिशेष धन का निवेश केवल निजी बैंक में किया जा सकता है।
(c) निवेश से होने वाला लाभ या हानि संबंधित खाते में ही दर्ज किया जाता है।
(d) अधिशेष धन का निवेश केवल शेयर बाजार में किया जा सकता है। **[c]**

15. धारा 86 से 89 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए—
निवेश से होने वाला लाभ या हानि उसी खाते में समायोजित किया जाएगा जिससे धन संबंधित है।
1. बजट प्राक्कलन में अगले वर्ष लिए जाने वाले ऋण का उल्लेख किया जाएगा।
2. बजट का प्रारूप राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाता है।
3. बजट में नया वाहन खरीदने का प्रस्ताव राज्य सरकार की 4. पूर्व अनुमति के बिना सम्मिलित किया जा सकता है।
सही विकल्प चुनिए—
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1,2 एवं 3
(c) केवल 2,3 एवं 4
(d) 1,2,3 एवं 4 **[b]**

♦♦♦♦

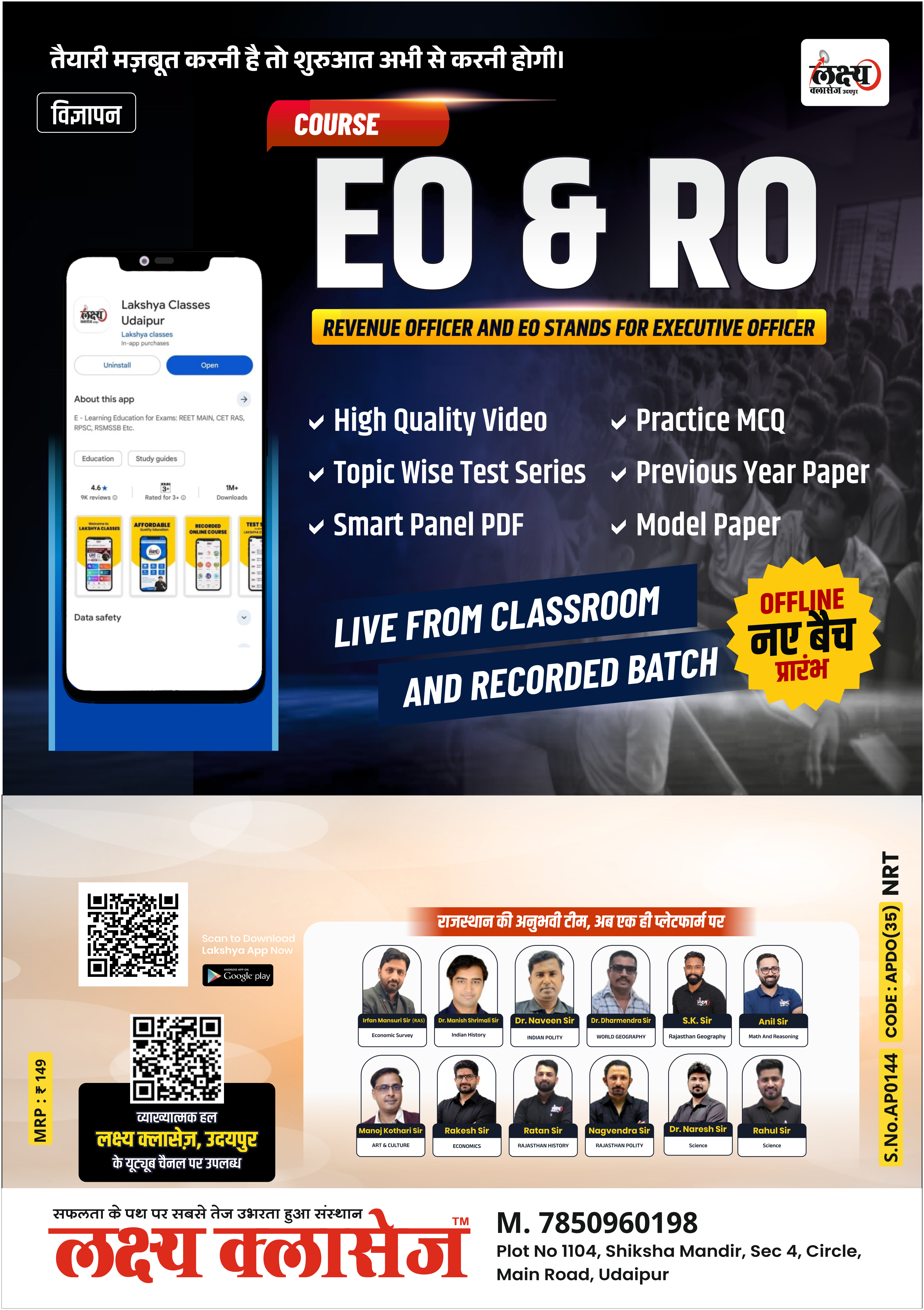

तैयारी मज़बूत करनी है तो शुरुआत अभी से करनी होगी।
विज्ञापन
लक्ष्य क्लासेज उदयपुर
COURSE
EO & RO
REVENUE OFFICER AND EO STANDS FOR EXECUTIVE OFFICER
Lakshya Classes Udaipur
Lakshya classes
In-app purchases
Uninstall
Open
About this app
E - Learning Education for Exams: REET MAIN, CET RAS, RPSC, RSMSSB Etc.
Education
Study guides
4.6★
9K reviews
Rated for 3+
1M+
Downloads
Data safety
High Quality Video
Practice MCQ
Topic Wise Test Series
Previous Year Paper
Smart Panel PDF
Model Paper
LIVE FROM CLASSROOM
AND RECORDED BATCH
OFFLINE
नए बैच
प्रारंभ
Scan to Download Lakshya App Now
Google play
व्याख्यात्मक हल
लक्ष्य क्लासेज़, उदयपुर
के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध
MRP : ₹ 149
राजस्थान की अनुभवी टीम, अब एक ही प्लेटफार्म पर
Irfan Mansuri Sir (RAS) Economic Survey
Dr. Manish Shrimali Sir Indian History
Dr. Naveen Sir INDIAN POLITY
Dr. Dharmendra Sir WORLD GEOGRAPHY
S.K. Sir Rajasthan Geography
Anil Sir Math And Reasoning
Manoj Kothari Sir ART & CULTURE
Rakesh Sir ECONOMICS
Ratan Sir RAJASTHAN HISTORY
Nagvendra Sir RAJASTHAN POLITY
Dr. Naresh Sir Science
Rahul Sir Science
S.No.AP0144 CODE : APDO(35) NRT
सफलता के पथ पर सबसे तेज उभरता हुआ संस्थान
लक्ष्य क्लासेज TM
M. 7850960198
Plot No 1104, Shiksha Mandir, Sec 4, Circle, Main Road, Udaipur